राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार–कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

–: चिकित्सा अधिकारी के पद पर स्थाई नियुक्ति हेतु अर्थना/विज्ञप्ति :–

क्रमांकः– संस्था/चि.अ./ए.टी./वि.भ./प.4/2019/658 दिनांक :– 03/10/2019

राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम–1963 समय–समय पर संशोधित के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, राजस्थान जयपुर के अधीन चिकित्सा संस्थानों में 737 रिक्त पदों को चिकित्सा अधिकारियों से स्थाई रूप से भरने हेतु अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत दो वर्ष के प्रोबेशन काल (एक वर्ष की इन्टर्नशिप को परिवीक्षा अवधि का हिस्सा माना जावेगा) पर उपयुक्त अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भरे जाने वाले पदों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :–

चिकित्सा अधिकारी के पदों की कुल रिक्तियां – 737

क्रं. सं.	वर्ग	पदों की संख्या	सामान्य	महिला		
				सामान्य	विधवा	तलाक/परित्यक्ता
1	अनारक्षित वर्ग	269	188	54	22	5
2	आर्थिक कमजोर वर्ग	73	51	15	6	1
3	पिछडा वर्ग	154	108	31	12	3
4	अनुसूचित जाति	117	82	24	9	2
5	अनुसूचित जनजाति	88	62	17	7	2
6	एम.बी.सी.	36	25	7	3	1
7	विशेष योग्यजन	30				

कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 29.03.2019 के अनुसार महिला, विशेष योग्यजन को आरक्षण देय होगा।

नोटः– नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर उपरोक्त रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढाई जा सकेगी।

विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) व्यक्तियों के लियेः–

(अ) उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यार्थियों को 4% पद आरक्षित होगें इनका निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता हैः–
O.L.- One leg affected (R or L)
(a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic
O.A.- One arm affected (R or L)
(a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

(ब) निःशक्तजन के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत् (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यार्थी जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति/सामान्य वर्ग/ई.डब्ल्यू. एस./एम.बी.सी.) का होगा। उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा।

(स) आवेदन–पत्र के यथा स्थान पर वर्ग विशेष 'निःशक्त व्यक्ति' (विकलांग) का उल्लेख करे तथा इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जिसमें चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो, की सत्यापित फोटो प्रति भी अवश्य प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थी को इसका लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।

महिलाओं के लिए आरक्षित पदों मे से 8% पद विधवा महिलाओं के लिये तथा 2% पद परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। विधवा/परित्यक्ता महिला उपलब्ध नहीं होने पर पहले Enterchange से फिर इन्हे उसी श्रेणी की सामान्य महिलाओं से भरा जावेगा।

राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध नही होने की दशा में किन्ही भी परिस्थितयों में इस प्रकार की आरक्षित रिक्ति को सीधी भर्ती

कृ0पृ0उ0

5197
03/10/19

Scanned by CamScanner

द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यार्थियों से नही भरा जावेगा। पिछडी जाति के योग्य एवं पात्र अभ्यार्थियों के उपलब्ध नही होने पर उक्त पदों को सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा।

अनिवार्य योग्यता : एम0बी0बी0एस0। कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ03(7)डीओपी/ए–II/97 दिनांक 17/09/99 के प्रावधान के अनुसार **राजस्थान मेडिकल कौंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।**

नोट :– **1.** Registration
2. PG Completion
3. प्रोबेशन पूर्ण होने तक PG हेतु Apply नहीं कर सकेगें।

योग्यताएं/अनुभव अधिमान्य (हिन्दी) में : "देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान"

पद का वेतनमान : 15600–39100 (पे लेवल 14) में एक वर्ष तक परिवीक्षा काल में वर्तमान में देय रूपये 39,300/– प्रतिमाह में चिकित्सा परिचर्या भत्ते के रूप में रूपये 17,400/– प्रतिमाह जोडकर रूपये 56,700/– प्रतिमाह दिया जायेगा।

(क) आयु सीमा– न्यूनतम एवं अधिकतमः– 22 वर्ष न्यूनतम एवं 47 वर्ष अधिकतम।

(ख) अधिकतम आयु सीमा में छूटः–

(1) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 10 के अंतर्गतः–

(i) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प07(2)कार्मिक/क–2/93 पार्ट दिनांक 25/05/2000 के अनुसरण में अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछडी जाति के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं समय–समय पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना के आधार पर आयु सीमा में छूट देय होगी।

(ii) कार्मिक विभाग के अधिसूचना कमांक प07(2)कार्मिक/क–2/84 भाग 18 दिनांक 30/04/2001 के अनुसरण में राजस्थान के अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछडी जाति की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एवं सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट एवं समय–समय पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना के आधार पर आयु सीमा में छूट देय होगी।

(iii) Ex- Service Man अभ्यार्थियों के लिये अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी।

(iv) विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा नही है।

(v) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/09/08 के अनुसरण में विभाग द्वारा पूर्व में वर्ष 2018 को आर0यू0एच0एस0 द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, इसलिये अधिसूचना दिनांक 23/09/08 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नही होगी।

पद/पदों से संबंधित कार्य (हिन्दी) में:– चिकित्सा संबंधित कार्य

मुख्यालय : राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 22'ए' में उपलब्ध प्रावधान के अनुसार प्रथम नियुक्ति उपरांत तीन वर्ष की ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता में शिथिलता दी जाकर संशोधित नियम 22'ए' के तहत सुपर स्पेशियलाईज्ड चिकित्सक (डीएम/एमसीएच)/पीजी डिग्री/डिप्लोमाधारी चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त भी पदस्थापित किया जा सकेगा।

नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी होने के अधिकतम एक माह में कार्यग्रहण करना अनिवार्य है।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ07(1)डी.ओ.पी./ए–II/1995(10/03) दिनांक 08/04/03 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके दिनांक 01/06/2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 30/06/06 के अनुसार विवाहित होने की स्थिति में आवेदक को विवाह पंजीयन की सूचना दिया जाना अनिवार्य है।

अभ्यार्थियों को नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व अपना स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र तथा संबंधित पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करना होगा। जिन पुरूष/महिला अभ्यार्थी के एक से अधिक पत्नि/पति है वे इस नियुक्ति के पात्र नही होगे। जिन अभ्यार्थियों ने अपने विवाह के समय दहेज लिया/दिया है वे इन नियुक्तियों के पात्र नही होंगे।

(डॉ0 के0के0 शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

Scanned by CamScanner